

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक-2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, (छ.ग.)

(Telephone-0771-2511974, email-directorateoffood@gmail.com, website- www.khadya.cg.nic.in)

क्रमांक 158 /वि.स./2023

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28/02/2023

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,  
छत्तीसगढ़
2. प्रबंध संचालक,  
छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.  
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)
3. प्रबंध संचालक,  
अपेक्स बैंक,  
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)


विषय- विधानसभा प्रश्न क्रमांक 415 तारांकित द्वारा श्री अजय चन्द्राकर सदस्य विधानसभा ।

कृपया विभाग से प्राप्त प्रश्न क्रमांक 415 तारांकित निम्नानुसार है :-

- (क) 31.1.2023 की स्थिति में कितने पंजीकृत किसानों द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में कितनी-कितनी मात्रा में धान की खरीदी की गयी थी तथा कितने किसान पंजीयन नहीं होने कारण एवं पंजीयन होने के बावजूद भी धान बिक्री नहीं कर पाये थे? तथा खरीदी गयी धान में से कितनी-कितनी मात्रा में धान का उपार्जन व कस्टम मिलिंग किया गया है तथा कितना शेष है और क्यों है? इन वर्षों में कितनी धान की मात्रा अमानक पायी गयी और ये समर्थन मूल्य के आधार पर कितनी राशि की होती हैं? इन वर्षों में शेष धान के निष्पादन के लिये जिला कलेक्टरों द्वारा क्या निर्देश दिये गये? तथा कितनी मात्रा में धान का निष्पादन किया गया और कितना शेष है व किस उपयोग में लाया गया? वर्षवार बतायें।
- (ख) उक्त खरीफ वर्षों में 31.1.2023 स्थिति में समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान की किस दर पर, किनको-किनको, कितनी मात्रा में, किस प्रक्रिया के तहत, किस दर में धान व चावल की नीलामी की गयी? तथा कितनी मात्रा में धान व चावल नीलामी

हेतु लक्ष्य रखा गया था? धान व चावल की नीलामी से 2500 रुपये खरीदी के आधार पर कितनी राशि का होता है? वर्षवार बतायें?

कृपया उपरोक्त विधानसभा प्रश्न के उत्तर पूरक जानकारी सहित दिनांक 02.03.2023 तक ई-मेल के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें। उत्तर के परिशिष्ट एक-पेज से अधिक होने की स्थिति में सीडी अथवा ई-मेल ([directoratofoffood@gmail.com](mailto:directoratofoffood@gmail.com)) के माध्यम से परिशिष्टों की जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराने का कष्ट करें। निर्धारित समय-सीमा में प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं होने पर संबंधित खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। विधानसभा से प्राप्त प्रश्न का उत्तर परिशिष्ट सहित "यूनिफ़ांटेड फॉन्ट" में टाइप कराकर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं)


  
सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर.  
संचालनालय, रायपुर

पृ.क्रमांक 159 /वि.स./2023  
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28/2/2023

1. अवर सचिव, छ.ग. शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।
2. समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।

  
सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर.  
संचालनालय, रायपुर